

**श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त  
तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3095 का उत्तर प्रतिवेदन**

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के हिलसा, करायपरशुराय एवं एकंगरसराय प्रखंड के कुछ भाग में जहानाबाद जिला के उदेरा में बने बराज का गेट बरसात में एक साथ खोलने के कारण लोकार्इन नदी का तटबंध टूटने से लगभग 10000 (दस) एकड़ में फसल विगत तीन वर्षों से बर्बाद हो रही है;</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि निरंजना एवं मोहाने नदी झारखंड राज्य के चतरा जिले से निकलती है एवं बिहार राज्य के गया जिला में मिलकर फल्गु नदी के रूप में प्रवाहित होती है। नालंदा जिला के हिलसा, करायपरशुराय एवं एकंगरसराय प्रखंड में फल्गू नदी पर पूर्व से लघु बांध/जमीन्दारी बांध निर्मित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है।</p> <p>झारखंड राज्य में निरंजना एवं मोहाने नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में निरंतर अत्यधिक वर्षापात के कारण बाढ़ अवधि 2025 में फल्गू नदी पर अवस्थित उदेरास्थान बराज पर अबतक का अधिकतम जलश्राव 1.26 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया, फलस्वरूप निम्नप्रवाह में विभिन्न नदियों पर अवस्थित लघु बांध/ जमीन्दारी बांध क्षतिग्रस्त हुआ।</p> <p>उदेरास्थान बराज के गेटों का संचालन सामान्य अवस्था में सिंचाई सुविधा के अनुसार किया जाता है। यदि गेट लगातार खुला रहेगा तो प्राप्त जलश्राव डाउनस्ट्रीम में प्रवाहित होता रहेगा, जिससे बराज से निःसृत नहरों में आवश्यकतानुसार जलश्राव उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। मॉनसून अवधि के दौरान फल्गू नदी में अप्रत्याशित जलश्राव होने पर आवश्यकतानुसार गेटों को उठा दिया जाता है।</p> <p>बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत क्षेत्रों के सुरक्षार्थ जियो बैग से कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य को दिनांक 15.05.2026 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।</p>
2.	<p>क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा लोकार्इन नदी के टूटे तटबंध का मरम्मत के नाम पर अस्थायी रूप से मिट्टी भराई की जाती है, जो कारगर नहीं होता है;</p>	<p>उदेरास्थान बराज के गेटों का संचालन सामान्य अवस्था में सिंचाई सुविधा के अनुसार किया जाता है। यदि गेट लगातार खुला रहेगा तो प्राप्त जलश्राव डाउनस्ट्रीम में प्रवाहित होता रहेगा, जिससे बराज से निःसृत नहरों में आवश्यकतानुसार जलश्राव उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। मॉनसून अवधि के दौरान फल्गू नदी में अप्रत्याशित जलश्राव होने पर आवश्यकतानुसार गेटों को उठा दिया जाता है।</p> <p>बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत क्षेत्रों के सुरक्षार्थ जियो बैग से कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य को दिनांक 15.05.2026 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।</p>
3.	<p>यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकार्इन नदी के राढ़ीछिलका से हिलसा एवं करायपरशुराय प्रखंड में बसे गाँवों तक बोल्टर पीचिंग करवाने एवं उदेरा स्थान बराज का 3-4 गेट बराबर खुला रखने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>उदेरास्थान बराज के गेटों का संचालन सामान्य अवस्था में सिंचाई सुविधा के अनुसार किया जाता है। यदि गेट लगातार खुला रहेगा तो प्राप्त जलश्राव डाउनस्ट्रीम में प्रवाहित होता रहेगा, जिससे बराज से निःसृत नहरों में आवश्यकतानुसार जलश्राव उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। मॉनसून अवधि के दौरान फल्गू नदी में अप्रत्याशित जलश्राव होने पर आवश्यकतानुसार गेटों को उठा दिया जाता है।</p> <p>बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत क्षेत्रों के सुरक्षार्थ जियो बैग से कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य को दिनांक 15.05.2026 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।</p>

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-23/2026

पटना/दिनांक .....

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3095 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-23/2026

पटना/दिनांक : .....

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-23/2026

पटना/दिनांक : .....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, अंचल-3/बाढ़ (मो0) अंचल पटना, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-23/2026

1440 पटना/दिनांक : 13/3/26 .....

प्रतिलिपि : प्रशाखा प्रदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आईसीओ सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13/3/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव